न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर0ए0एस0
अपील इंतकाल प्रकरण सं0 12/2021

1. मदनलाल पुत्र डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी चक 7 एम.एल.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. चेतराम पुत्र डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी चक 7 एम.एल.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
3. काशीराम पुत्र डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी चक 7 एम.एल.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. बृजलाल पुत्र श्री जयराम जाति कुम्हार निवासी फरसेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. कृष्णलाल पुत्र श्री मनीराम जाति कुम्हार निवासी फरसेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. मोहनलाल पुत्र श्री मनीराम जाति कुम्हार निवासी फरसेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. श्योपतराम पुत्र श्री मनीराम जाति कुम्हार निवासी फरसेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील बनाराजी आदेश तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर दिनांक 29.01.2021, प्रकरण संख्या 01/2020 अनवानी मदनलाल वगैरा बनाम बृजलाल वगैरा, अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, जिसकी रूह से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/अपीलान्टान निरस्त फरमाया गया बमुराद मुन्सूखियां अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित : 1. श्री मोहनलाल छाबड़ा , अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2. श्री फलभूर सिंह बराड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

आदेश दिनांक :–08.06.2022

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्टान/प्रार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 183 वी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण/वादीगण/अपीलान्टान के नाम से तहसीलदार पदमपुर के चक 3 ईईए की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076, खाता संख्या 17/18, मुरब्बा नम्बर 24 की 1.797 हैक्टर नहरी भूमि में से 1.556 हैक्टर , नहरी भूमि मुश्तरका खाता में से 1.400 हैक्टर नहरी दर्ज रिकॉर्ड है जो कि भूमि विरास्तन प्राप्त हुई है। डूंगरराम के शेष वारिसान के द्वारा अपना अपना हक प्रार्थीगण के पक्ष में परित्याग कर रखा है। वादीगण अन्यत्र निवास करते है जिसका अनुचित लाभ उठाकर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण / रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के द्वारा जो कि स्वर्ण जाति के व्यक्ति है, जबरन भूमि पर कब्जा कर लिया है जबकि उक्त को भूमि पर कभी कोई हक अथवा अधिकार नहीं दिये गये है एव ना ही भूमि ठेका काश्त पर दी गयी है। अप्रार्थीगण जो कि स्वर्ण जाति के व्यक्ति है, को अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर कब्जा में बने रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है यह भी अंकित किया कि डूंगरराम अथवा प्रार्थीगण के द्वारा कभी भी भूमि का अन्तरण किसी भी प्रकार से अथवा रजिस्ट्री से नहीं किया है। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण / रेस्पोडेन्ट अतिकमी है वा दोषपूर्ण कब्जा किये हुए है इसलिये वर्णित 1.400 हैक्टर भूमि से बेदखल किया जाकर कब्जा प्रार्थीगण को दिलवाया जावें एवं अप्रार्थीगण पर हर्जाना आरोपित कर दण्डित किया जावें। प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

होने पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं पटवारी हल्का से मौका व रिकॉर्ड की रिपोर्ट तलब की गयी। अप्रार्थीगण के द्वारा जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब एवं प्रारम्भिक आपत्ति इस आश्य की प्रस्तुत की कि हस्तगत आवेदन पत्र वाद पत्र नहीं है वरन् संक्षिप्त विचारण की कार्यवाही है। अप्रार्थीगण बतौर अतिक्रमी काबिज नहीं है, वरन् डूंगरराम के द्वारा दिनांक 23.03.1968 को 2.10 बीघा एवं 08.04.1969 को 3.12 बीघा भूमि का बेचान कर दिया था। इस सम्बन्ध में धारा 175 के वाद भी दो बार खारिज हुए। मौजूदा आवेदन पत्र बाहर मियाद होने का कथन कह कर एवं स्वयं को अतिक्रमी ना होना कथन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली जाकर एवं मुताबिक रिपोर्ट मौका पर बृजलाल पुत्र जयराम एवं मनीराम के बच्चों का कब्जा बैयनामा एवं इकरारनामा के आधार पर होना अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र बाहर मियाद कथन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.01.2021 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण निम्न आधारों पर प्रस्तुत कर रहे है।

1. अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूऐदाद मिसल है। प्रमाणित प्रति सलंग्न है।
2. यह कि अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत जाकर एवं बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। इसलिये निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों एवं इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के विधिक अधिकारों की सुरक्षा हेतू प्रतिपादित सिद्वान्तों का न तो भली प्रकार से अवलोकन किया एव ना ही अपीलधीन आदेश में विवेचन किया। इसलिये भी अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश में कथित बैयनामा की चित्रप्रतियों पर अपना निर्णय केन्द्रित करते हुए यह मानने में अहम कानूनी भूल की है कि डूंगरराम के द्वारा अपीलाधीन कृषि भूमि का बेचान कर दिया था जबकि अपीलार्थीगण की ओर से स्पष्ट तौर इस सम्बन्ध में इन्कार किया गया कि न तो अपीलार्थीगण के द्वारा और ना ही डूंगरराम के द्वारा भूमि का बेचान ही किया गया। ऐसी स्थिति में बैयनामा की प्रमाणिकता को साबित करवाये बिना ऐसी चित्रप्रतियों पर अपना निर्णय केन्द्रित करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी भूल की है, इसलिये अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
5. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 175 आर.टी.एक्ट के वाद पत्र के निरस्त होने को भी आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कतई जांच नहीं की गयी कि आया 175 आर.टी. एक्ट के वाद का गुणवगुण पर निर्णय डूंगरराम की उपस्थिति में हुआ है अथवा नहीं जब डूंगरराम के द्वारा बेचान किया ही नही गया तो धारा 175 आरटीएक्ट के वाद पत्र के चलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था एव ना ही धारा 175 आरटीएक्ट के वाद में कथित बैयनामाजात ही प्रस्तुत होकर प्रमाणित हुए। इसलिये ऐसे निर्णयों के आधार पर पारित किया गया अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
6. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र को बाहर मियाद मानते हुए निरस्त करने में अहम कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के द्वारा अपने अधिवक्ता को स्पष्ट रूप से यह तथ्य कथन किये थे कि डूंगरराम अपने जीवनपर्यन्त अपीलाधीन कृषि भूमि पर काबिज रहा एवं उसके देहान्त उपरान्त अप्रार्थीगण /रेस्पोडेन्ट के द्वारा भूमि पर अनुपस्थिती का अनुचित लाभ उठाकर जबरन एवं बतौर अतिक्रमी कब्जा कर लिया। अधिवक्ता के द्वारा उक्त वास्तविक तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित ना करने का अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में आधार बनाते हुए प्रार्थना पत्र को बाहर मियाद मानने में अहम कानूनी भूल की है। अधिवक्ता की गलती की सजा अपीलार्थीगण को नहीं दी जा सकती है एवं वैसे भी धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अनूसूचित जाति के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

व्यक्तियों की सुरक्षार्थ बने हुए है एवं तकनीकी बिन्दुओं पर एवं अपीलार्थीगण की अज्ञानता एवं विधिक सोच के अभाव के कारण एवं अधिवक्ता की गलती की सजा अपीलार्थीगण को नहीं दी जा सकती है इसलिये भी अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

7. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह बिन्दु जाहिरा तौर से प्रमाणित था कि अपीलार्थीगण अनुसूचित जाति के पक्षकार है एवं अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट स्वर्ण जाति के व्यक्ति है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर स्वर्ण जाति का व्यक्ति किसी भी प्रकार से काश्त नहीं कर सकता है एव ना ही काबिज रह सकता है। प्रथम तो कोई बेचान नहीं है एव ना ही कोई बेचान साबित हुआ। द्वितीय ऐसा बेचान धारा 42 बी की उल्लधंना में होने के कारण प्रारम्भतः शून्य दस्तावेजात है जिनकी कोई विधिक महत्तवता नहीं है। डूंगरराम का देहान्त सन् 2009 में होने के उपरान्त किये गये जबरन कब्जा से प्रार्थना पत्र विहित अवधि में होने के कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

8. यह कि अपीलाधीन आदेश महज अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट को अनुचित लाभ दिये जाने के आशय से धारा 183 बी राज.काश्त.अधि. के प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया गया है जो स्पीकिंग आर्डर की परिभाषा में नहीं आता है। इसलिये अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

9. यह कि अप्रार्थीगण अपीलाधीन आदेश की आड़ में अब जबरन मौका पर निर्माण कर अपना कब्जा स्थायी करने की चाह में है एवं मौका पर निर्माण सामग्री गिरवा रखी है जबकि रेस्पोडेन्ट को कोई विधिक अधिकार अपीलाधीन भूमि पर निर्माण करने का नहीं है।

10. यहकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का न तो अवलोकन किया एव ना ही अपीलाधीन आदेश में इनका विवेचन किया, इसलिये भी अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

11. यह कि अन्य कानूनी व वाकेआती पहलू वरवक्त बहस निवेदन किये जायेगें। अपील सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। अपील अन्दर मियाद एक रूपये की उचित कोर्टफीस पर प्रस्तुत है।

लिहाजा अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांकित 29.01.2021 अपास्त फरमाया जावें एवं प्रार्थीगण/अपीलान्टान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राज.काश्त.अधि. का स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थीगण का अपीलाधीन कृषि भूमि का कब्जा दिलवाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत जाकर एवं बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा 183 बी राज. काश्त. अधि. के प्रावधानों एवं इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के विधिक अधिकारों की सुरक्षा हेतू प्रतिपादित सिद्वान्तों का न तो भली प्रकार से अवलोकन किया एव ना ही अपीलधीन आदेश में विवेचन किया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश में कथित बैयनामा की चित्रप्रतियों पर अपना निर्णय केन्द्रित करते हुए यह मानने में अहम कानूनी भूल की है कि डूंगरराम के द्वारा अपीलाधीन कृषि भूमि का बेचान कर दिया था जबकि अपीलार्थीगण की ओर से स्पष्ट तौर इस सम्बन्ध में इन्कार किया गया कि न तो अपीलार्थीगण के द्वारा और ना ही डूंगरराम के द्वारा भूमि का बेचान ही किया गया। ऐसी स्थिति में बैयनामा की प्रमाणिकता को साबित करवाये बिना ऐसी चित्रप्रतियों पर अपना निर्णय केन्द्रित करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 175 आर.टी.एक्ट के वाद पत्र के निरस्त होने को भी आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कतई जांच नहीं की गयी कि आया 175 आर.टी.एक्ट के वाद का गुणवगुण पर निर्णय डूंगरराम की उपस्थिति में हुआ है अथवा नहीं जब डूंगरराम के द्वारा बेचान किया ही

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नही गया तो धारा 175 आरटीएक्ट के वाद पत्र के चलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था एव ना ही धारा 175 आरटीएक्ट के वाद में कथित बैयनामाजात ही प्रस्तुत होकर प्रमाणित हुए। इसलिये ऐसे निर्णयों के आधार पर पारित किया गया अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र को बाहर मियाद मानते हुए निरस्त करने में अहम कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के द्वारा अपने अधिवक्ता को स्पष्ट रूप से यह तथ्य कथन किये थे कि डूंगरराम अपने जीवनपर्यन्त अपीलाधीन कृषि भूमि पर काबिज रहा एवं उसके देहान्त उपरान्त रेस्पोडेन्ट के द्वारा भूमि पर अनुपस्थिती का अनुचित लाभ उठाकर जबरन एवं बतौर अतिक्रमी कब्जा कर लिया। अधिवक्ता के द्वारा उक्त वास्तविक तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित ना करने का अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में आधार बनाते हुए प्रार्थना पत्र को बाहर मियाद मानने में अहम कानूनी भूल की है। अधिवक्ता की गलती की सजा अपीलार्थीगण को नहीं दी जा सकती है एवं वैसे भी धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अनूसूचित जाति के व्यक्तियों की सुरक्षार्थ बने हुए है एवं तकनीकी बिन्दुओं पर एवं अपीलार्थीगण की अज्ञानता एवं विधिक सोच के अभाव के कारण एवं अधिवक्ता की गलती की सजा अपीलार्थीगण को नहीं दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह बिंन्दु जाहिरा तौर से प्रमाणित था कि अपीलार्थीगण अनुसूचित जाति के पक्षकार है एवं रेस्पोडेन्ट स्वर्ण जाति के व्यक्ति है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर स्वर्ण जाति का व्यक्ति किसी भी प्रकार से काश्त नहीं कर सकता है एव ना ही काबिज रह सकता है। प्रथम तो कोई बेचान नहीं है एव ना ही कोई बेचान साबित हुआ। द्वितीय ऐसा बेचान धारा 42 बी की उल्लधंना में होने के कारण प्रारम्भतः शून्य दस्तावेजात है जिनकी कोई विधिक महत्तवता नहीं है। अपीलाधीन आदेश महज रेस्पोडेन्ट को अनुचित लाभ दिये जाने के आशय से धारा 183 बी राज.काश्त.अधि. के प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया गया है जो स्पीकिंग आर्डर की परिभाषा में नहीं आता है। अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांकित 29.01.2021 अपास्त फरमाया जावें एवं अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राज.काश्त.अधि. का स्वीकार फरमाया ज़ाकर अपीलार्थीगण का अपीलाधीन कृषि भूमि का कब्जा दिलवाया जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस निम्न नजीरे पेश कि :–

1. आर.बी.जे. (22) 2015 पेज– 722 से 733

> RAJASTHAN TENANCY ACT. 1955-Section 42- There was clear prohibition in making any sale by a member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe to Non-Scheduled Caste or Non- Scheduled Tribe since 22-9-1956. Transfer made on 12-1-1962 was against the said prohibition.

2. आर.आर.डी. 1999 पेज– 319 से 322

> RAJASTHAN TENANCY ACT. Section 42 & 183-B- Tehsildar evicted the non-petitioners from disputed land – appeal accepted by addl. Collector – revision –Held , disputed land was alloatted to petitioner'L'- His name is recorded in jamabandi St. 2045 as gair khatedar- Sale deed in favour of 'G' and ors. is void being in contravention of Sec.42 R.T.Act. – non petiationers are in illegal possession of disputed land- Appeal accepted on the basis of illegal sale deed on the point of limitation.

3. आर.आर.डी. 2015 पेज– 345 से 347
4. आर.आर.टी. 2020 (2)पेज– 658 से

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस कथन किया कि वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण के पिता श्री डूंगरराम द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये बैयनामा बेचान की गई है। उक्त बैयनामे तत्कालीन सब–रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन किये गये है। पानी की पर्चीया अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता मनीराम एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता जयराम के नाम से एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर का निर्णय दिनांक 25.09.1975 बअनवानी राजस्थान सरकार बनाम डूंगरराम आदि अन्तर्गत धारा 175 आरटीए में वाद पत्र मियाद अवधि से बाहर हाने के आधार पर खारिज किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा (ख) बेदखली हेतु कार्यवाही– अपीलार्थीगण ने 54 वर्ष बाद बेदखली हेतु आवेदन पेश किया– मियाद 12 वर्ष है। अतः मियाद के बिन्दु पर अपील अपीलार्थी खारिज की जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि हस्तगत प्रकरण में यह हस्तांतरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 42(ख) के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है क्योंकि कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा उनसे भिन्न जाति के किसी सदस्य को दिनांक 22.09.1956 से कोई भूमि बिकी/ हस्तांतरण करने में स्पष्ट कानूनी प्रतिबंध था। ऐसी स्थिति में यह हस्तान्तरण भी प्रतिबन्धित श्रेणी में है। अतः रकबा बहक सरकार लिया जाना चाहिए।

हस्तगत प्रकरण का प्रस्तुत कानूनी प्रावधानों/दृष्टांतों के आलोक में परीक्षण किया गया। मामले में अपीलांट के पिता डूंगरराम जाति **मेघवाल (एस.सी.)** द्वारा विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बृजलाल पुत्र जयराम व रामेश्वर वल्द मनीराम **जाति कुम्हार (नोन–एस. सी.)** को दिनांक 23.03.1968 को जरिये बैयनामा विकय की एवंम दुसरा बैयनाम बृजलाल पुत्र जयराम व रामेश्वर वल्द मनीराम **(नोन–एस.सी.)** को दिनांक 08.04.1969 को विकय की जो तत्समय प्रवृत आर.टी. एक्ट की धारा 42(ख) के प्रावधानों से प्रतिबंधित थी। लिहाजा तहसीलदार पदमपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर (कैम्प पदमपुर) के न्यायालय में धारा 175 आर.टी.एक्ट में प्रकरण संस्थित करवाया जिसे दिनांक 25.09.1975 को खारिज कर दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर में अन्तर्गत धारा 183 (ख) पेश किया जिसे मियाद बाहर माना जाकर खारिज किया जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलार्थी मदनलाल वगैरा द्वारा पेश की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय की प्रस्तुत नजीर निर्णय अपील नम्बर 5853/2014 (Arising out of) SLP[C] No. 16638 of 2012 अनवान रामकरण व अन्य बनाम राजस्थान सरकार के आलोक में उक्त विकय/हस्तांतरण दिनांक 22.09.1956 के पश्चात् किया गया है। लिहाजा यह विकय आर.टी.एक्ट की धारा 42(ख) से प्रतिबंधित था और इसलिए उसे किसी भी दृष्टि से मान्य नहीं किया जा सकता। विवादित भूमि कानूनी प्रावधानों के विपरीत विकय होने से रिज्यूम होने के दायित्वाधीन है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपील के अन्तर्गत आने वाली भूमि चक गांव 3 ईईए के पुराना मुरब्बा नम्बर 64 नया 24 के किला नम्बर 6/1, 7/1,8 की कुल 2.10 बीघा एवंम मुरब्बा नम्बर 64 पुराना नया 64 के किला नम्बर 3 की 15 बिस्वा, किला नम्बर 4 के 15 बिस्वा, किला नम्बर 5 के 15 बिस्वा, किला नम्बर 8 में 10 बिस्वा व किला नम्बर 14 के 17 बिस्वा कुल 3.12 बीघा भूमि को कानूनी प्रावधानों के विपरीत हस्तांतरण करने के कारण मामला अप्रार्थी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 के अन्तर्गत रेफरेन्स योग्य उपयुक्त ठहरता है। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, पदमपुर को प्रेषित हो। तहसीलदार पदमपुर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक पक्षकारों को संयोजित कर रेफरेन्स तैयार कर पेश कर निर्णय की पालना में समुचित कार्यवाही अविलम्ब करे। आदेश आज दिनांक 08.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. हरीतिमा)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
(प्रशासन),श्रीगंगानगर